कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रसारित की जाती है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2024 की **हाईस्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेन्ट/कम्पार्टमेन्ट** तथा **इण्टरमीडिएट में कम्पार्टमेन्ट परीक्षा** हेतु अर्ह परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन विगत वर्षों की भाँति परिषद् की वेबसाइट upmsp.edu.in पर **दिनांकः 07.05.2024 से 31.05.2024** की मध्यरात्रि 12.00 बजे तक स्वीकार्य किया जायेगा।

1– हाईस्कूल इम्प्रूवमेन्ट/ कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के सम्बन्ध में:–

इम्प्रूवमेन्ट परीक्षा के अन्तर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कम्पार्टमेन्ट के अन्तर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए दो विषयों में से केवल किसी एक विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा शुल्क रु0– 256.50 निर्धारित है।

2– इण्टरमीडिएट कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के सम्बन्ध में–

इण्टरमीडिएट परीक्षा में मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग से सम्मिलित परीक्षार्थी किसी एक विषय में, कृषि भाग–1 एवं 2 में निर्धारित विषयों में किसी एक प्रश्नपत्र में एवं व्यावसायिक वर्ग के ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कम्पार्टमेन्ट परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह माने जायेंगे। परीक्षा शुल्क रु0– 306.00 निर्धारित है।

परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा परिषद् के निम्नांकित मद में जमाकर शुल्क के चालान की मूल प्रति के साथ हाईस्कूल इम्प्रूवमेन्ट/कम्पार्टमेन्ट परीक्षा/ इण्टरमीडिएट की कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के ऑनलाइन भरे गये आवेदन की प्रति को डाउनलोड करके परिषद् के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों को रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् तीन दिन के अन्दर भेजना आवश्यक होगा।

कोषागार में चालान जमा करने हेतु निर्धारित मदः–

0202– शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति

01 – सामान्य शिक्षा

102 – माध्यमिक शिक्षा

02 – बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क

हाईस्कूल की इम्प्रूवमेन्ट/कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के लिखित तथा प्रयोगात्मक/प्रोजेक्ट (आन्तरिक मूल्यांकन) एवं इण्टरमीडिएट की कम्पार्टमेन्ट परीक्षा के लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भागों में अनुत्तीर्ण रहे परीक्षार्थियों को दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। किसी विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में अथवा यदि चाहे तो अनुत्तीर्ण एवं उत्तीर्ण दोनों भागों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। इनकी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथियों की सूचना बाद में विज्ञापित की जायेगी।

(दिब्य कान्त शुक्ल)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–मा0शि0प0/सिस्टम सेल/ 86(1-7) दिनांकः 06 मई ,2024

उपर्युक्त विज्ञप्ति की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– प्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्र के सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे अपने दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

3– उप सचिव, शिक्षा अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4– शिक्षा निदेशक (मा0) एवं सभापति, मा0शि0प0, शिविर कार्यलय, 18 पार्क रोड़, लखनऊ।

5– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

7– अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/प्रयागराज /वाराणसी/ गोरखपुर।

(दिव्य कान्त शुक्ल)
सचिव।